राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2016/213 दिनांकः–9/5/16.

आदेश

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.3 (212) निविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम, 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीलामी/आवंटन के द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित अवधि में भी भवन निर्माण नहीं कराने के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए नियमानुसार राशि वसूल कर भवन निर्माण अवधि दिनांक 30.06.2016 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाना उल्लेखित है।

राज्य सरकार के उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में राजस्थान आवासन मण्डल में व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड/प्लिंथ/स्केलटन स्ट्रेक्चर पर निर्माण अवधि बढाये जाने हेतु लम्बित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए निर्माण अवधि दिनांक 30.06.2016 तक निर्धारित राशि वसूल करते हुए बढाये जाने के लिये उप आवासन आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावें तथा निर्माण अवधि बढाये जाने के प्रकरणों में शेष शर्तें मण्डल के आदेश क्रमांक 768 दिनांक 12.08.2013 के अनुरूप रहेंगीं।

भविष्य में आवंटन/नीलामी किये गये भूखण्डों की निर्माण अवधि बढाये जाने संबंधी प्रकरण सन्दर्भित आदेश दिनांक 12.08.2013 के क्रम में समुचित निस्तारण हेतु मुख्य सम्पदा प्रबन्धक के माध्यम से प्रस्तुत किये जावें तथा वर्तमान में निर्धारित समयावधि में भी निर्माण नहीं कराये गये प्रकरणों को चिन्हित कर दिनांक 30.06.2016 तक नियमानुसार राशि जमा करवाकर निर्माण करवाने हेतु पाबन्द करने हेतु नोटिस जारी किया जावें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(ओ0पी0 मीणा)
अध्यक्ष/आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकारा, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. मुख्य राजस्व अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
7. सम्पदा प्रबन्धक (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0 ....।
9. समस्त आवासीय अभियन्ता, रा0आ0म0 ....।
10. समस्त सम्पदा प्रबन्धक, वृत–............., रा0आ0म0, ...।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
12. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक